

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ़ 16, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 157
No. 265]	DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ASADHA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 157

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-1 (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2017

सं.फा. 13/20/99/गृह (पु.)/स्था./1641-1644.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त पुलिस (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी) के पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (क) इन नियमों को दिल्ली पुलिस, सहायक आयुक्त पुलिस (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाए।
(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, तथा अन्य योग्यता इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति; (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक आयुक्त पुलिस (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी)
2.	पदों की संख्या	:	02 (दो) (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	'ख' वर्गीय सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे मैट्रिक्स में पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान/ स्तर	:	स्तर-8 (47,600-1,51,100/-रुपए)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(1) 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके ने होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा (2) 50प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति :- ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400/-रुपए) में विभागीय निरीक्षक (कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी) में से। टीप:- जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हता/योग्यता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए उन पर विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा। शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा के आधे से कम न हो या दो वर्ष से कम न हो इनमें जो भी कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने पहले से ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा पूरी की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा):- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धसरकारी या स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन के अन्तर्गत अधिकारी:- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे मैट्रिक्स स्तर-7 (44,900-1,42,400/-रुपए) के वेतनमान में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले:

		अनिवार्य:- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामान्य सांख्यिकी के कम से कम एक विषय सहित गणित / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / भौतिकी / समाज विज्ञान/अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; तथा (2) सरकारी विभाग में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण का तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय :- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर उपाधि (2) अपराध से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा टीप-1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव(गृह), अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. विशेष सचिव(सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी सदस्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 3. संयुक्त आयुक्त, पुलिस/मुख्यालय, दिल्ली सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन कुमार, उप-सचिव (गृह-1)

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2017

No. F. 13/20/99/Home(P)/Estt./1641-1644.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commissioner of Police (Senior Research Officer) in Delhi Police, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Police, Assistant Commissioner of Police (Senior Research Officer) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification, etc..**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person ; (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post : Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale/Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for Direct Recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Assistant Commissioner of Police (Senior Research Officer)	02 *(Two) (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-B, Gazetted, Non-Ministerial	LEVEL-8 (Rs.47,600-1,51,100)	Selection	Not Applicable

Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	Whether Age and Educational Qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	i) 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract ii) 50% by deputation including short term contract

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption Grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
11.	12.	13.
<u>Promotion:-</u> From amongst the Departmental Inspector (Junior Research Officer) in Level 7 (Rs. 44,900-Rs.1,42,400) in pay matrix with two years' regular service in the Grade. Note: Where Juniors who have completed their Qualifying/Eligibility Service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite Qualifying/Eligibility Service by more than half of such Qualifying/Eligibility Service OR Two(02) years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade alongwith their Juniors who have already completed such Qualifying/Eligibility Service. <u>Deputation</u>(Including short term contract):- Officers under the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Universities/Recognized Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies/ Statutory Organizations: A (i) Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre/Department; OR (ii) With two (02) years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 (Rs.44,900-1,42,400) in Pay Matrix or equivalent in the Parent Cadre OR Department; AND (B) Possessing the following Educational Qualification & Experience: Essential :- (i) Master's Degree in Statistics/Mathematical Statistics from a Recognized University/Institute; OR Master's Degree in Mathematics/ Economics /Commerce/ Physics/ Sociology/ Criminology with at least one subject on General Statistics from a Recognized University/Institute; AND (ii) Three (03) years Experience of collection of Statistical Data in a Government Department. Desirable :- (1) Master Degree in Operational Research from a Recognised Univeristy/Institute. (2) Analysis of Statistical Data relating to Crime. (3) Diploma in Computer Application. Note-1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly	<u>Group 'B' Department Promotion Committee</u> 1. Principal Secretary (Home), GNCT, Delhi -- Chairman 2. Special Secretary (Services), GNCT, Delhi -- Member 3. Joint C.P./HQ., Delhi Police -- Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation(ISTC).

deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [The Period of deputation(ISTC)including the period of Deputation (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization /Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three (03) years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications].		
--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-I)